**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6668/2006**

**याचिकाकर्ता** - बृज किशोर मिश्रा, आयु लगभग 61 वर्ष, पिता श्री शंभो प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, मेगनार (टोकापाल), जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** - 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आदिवासी विभाग/शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2) खंड शिक्षा अधिकारी, तोकापाल, तहसील एवं जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

3) संयुक्त संचालक (कोष एवं पेंशन), जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़।

4) सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जगदलपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)**

**एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री**

.....

**उपस्थित:**

श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री सतीश गुप्ता, उप-शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी/राज्य की ओर से ।

.....

**मौखिक आदेश**

**(दिनांक 24 अप्रैल 2007 को पारित)**

**(1)** इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 31-8-2006 (अनुलग्नक पी./2) के आदेश को चुनौती दी है, जो संयुक्त संचालक (कोषालय एवं पेंशन), जगदलपुर द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता से 41,833/-रुपये की अधिक भुगतान राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया।

**(2)** संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था। 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 तथा वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 4-2-1990 के अनुसार द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 17-7-2002 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश द्वारा प्रदान किया गया। उत्तरवादी/राज्य द्वारा दिनांक 24-4-2006 (अनुलग्नक आर/1) को एक परिपत्र जारी किया गया, जो कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि याचिकाकर्ता को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ पहले ही दिनांक 17-7-2002 को प्रदान किया जा चुका था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(3)** राज्य/उत्तरवादियों ने संयुक्त संचालक (कोषालय एवं पेंशन) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 31-8-2006 (अनुलग्नक पी./2) के समर्थन में दिनांक 24-4-2006 (अनुलग्नक आर/1) के परिपत्र पर भरोसा किया है। उक्त परिपत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि पूर्व में प्रदान की गई द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ को वापस लिया जाए या उसे अवैध घोषित किया जाए।

**(4)** इसी प्रकार का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विद्याधर तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2006 (1) एमपीएचटी 105) के प्रकरण में विचाराधीन हुआ था, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता को कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ है, तो उसमें उसकी कोई त्रुटि नहीं है और उसने प्राप्त राशि को अपने वेतन के रूप में मानकर उसका उपयोग कर लिया होगा। साथ ही, उसे कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। इसके

अतिरिक्त, आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया।

**(5)** श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ (1994) 2 एससीसी 521 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जिन कर्मचारियों को उनकी किसी त्रुटि के बिना उच्च वेतनमान प्राप्त हुआ है, उनसे पहले से किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली करना उचित नहीं होगा। उस मामले में, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 1-1-1973 से उच्च वेतनमान प्रदान किया गया था, जबकि वास्तव में वे 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ही उसके पात्र थे। तथापि, चूँकि वे 1973 से ही उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, बाद में वर्ष 1984 में वेतनमान को घटाकर पुनः 1-1-1973 से प्रभावी कर दिया गया।

**(6)** पुनः, साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य (1995 सप (1) एससीसी 18) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 5 में इस प्रकार प्रतिपादित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "5. निर्विवाद रूप से अपीलार्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी इस प्रकार की छूट का अधिकारी नहीं था। प्रधानाचार्य द्वारा उसे यह छूट प्रदान करना त्रुटिपूर्ण था। छूट प्रदान किए जाने की तिथि से अपीलकर्ता को उक्त वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता रहा। तथापि, यह लाभ अपीलकर्ता द्वारा किसी मिथ्या प्रतिवेदन के कारण नहीं दिया गया, बल्कि प्रधानाचार्य द्वारा नियमों की गलत व्याख्या के कारण प्रदान किया गया, जिसके लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में अब तक दी गई राशि की वसूली अपीलार्थी से नहीं की जानी चाहिए।"

**(7)** एक अन्य प्रकरण में, वी. गंगाराम बनाम क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (1997) 6 एससीसी 139 में, दो योग्यताओं अर्थात् एम.ए. और एम.एड. के आधार पर वेतनवृद्धि के भुगतान का प्रश्न विचाराधीन था। उस मामले में याचिकाकर्ता को एम.ए. एवं एम.एड. की योग्यता प्राप्त करने पर 4 वेतनवृद्धियाँ प्रदान की गई थीं, जबकि वह केवल 2 वेतनवृद्धियों का ही पात्र था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अतिरिक्त

भुगतान की गई राशि की वसूली की जा सकती है। उक्त मामले में पूर्व के निर्णयों, जैसे श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ (1994) 2 एसीसी 521 तथा साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य (1995 सप (1) एसीसी 18) का उल्लेख नहीं किया गया था।

**(8)** उपर्युक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी यह स्थापित करने में असफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता को अतिरिक्त भुगतान किस प्रकार किया गया।

**(9)** उपर्युक्त तथ्यों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में, यह याचिका स्वीकार की जाती है तथा दिनांक 31-8-2006 (अनुलग्नक पी./2) का वह आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता से कथित अतिरिक्त भुगतान की वसूली का निर्देश दिया गया था, अभिखण्डित किया जाता है। याचिकाकर्ता बिना किसी कटौती के पूर्ण पेंशनरी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**(सतीश के. अग्निहोत्री)**

**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**